न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी याचिका सं0 05/2013

1. घनश्याम पुत्र कल्याणसहाय
2. रमेश पुत्र रामस्वरूप
3. छगनलाल पुत्र कल्याणसहाय
4. रामेश्वर लाल पुत्र जगन्नाथ
5. रामकिशोर पुत्र भोमाराम

समस्त जाति जांगिड निवासी काली पहाडी तहसील दौसा जिला दौसा

...निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सोन्या उर्फ श्योनारायण जाति बैरवा निवासी काली पहाडी तहसील दौसा जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत काली पहाडी जरिये सचिव व सरपंच ग्राम पंचायत काली पहाडी

...गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध विक्रय भूमि जरिये पट्टा दिनांक 28.3.1986 ग्राम पंचायत काली पहाडी के द्वारा के खिलाफ

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकारान (अनु0)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 20.02.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत कालीपहाडी के द्वारा जारी पट्टा दिनांक 28.3.1986 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। ग्राम पंचायत कालीपहाडी से मूल अभिलेख तलब कियागया। गैर निगरानीकार सं0 1 व 2 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अधिवक्ता निगरानीकारान के अनुपस्थित रहने से उनके निगरानी में अंकित तथ्यों को ही बहस मानकर सुनवाई की गई। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम पर सुनवाई की गई। मुताबिक दफा 05 कानून मियाद ग्राम पंचायत के विक्रय विलेख के खिलाफ निगरानी प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं होती है कभी निगरानी पेश की जा सकती है। प्रार्थीगण को उक्त पट्टा दिनांक 28.3.1986 की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 14.5.2013 को उक्त पट्टे की जानकारी हुई। न्यायालय से उक्त पटटे की नकल दिनांक 22.5.2013 को प्राप्त हुई। इस प्रकार बिना किसी विलंब के उक्त निगरानी श्रीमानजी के समक्ष पेश की जा रही है। जानकारी से निगरानी अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः दफा 05 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन है कि निगरानी को पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर निगरानी अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र काअवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले [illegible] किया जाकर निगरानी की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः [illegible] 4. [illegible] किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल निगरानी पर सुनवाई की गई। निगरानीकारान के निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार विक्रय भूमि पट्टा दिनांक [illegible].1986 विधि, तथ्यों [illegible]क्रिया के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत कालीपहाडी के सरपंच ने उक्त पट्टे के द्वारा खसरा नंबर 2302 चरागाह भूमि रकबा 1.28है0 में से 30 गुणा 45 फीट का कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:24 IST
Reason: SelfAttested

DL
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

150 वर्गगज का पट्टा देने में कानूनी त्रुटी की है। इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है। उक्त पट्टे में जो दक्षिण दिशा को पडत जमीन छोडकर सडक बतलाई गई है, उक्त सडक के दक्षिण दिशा की तरफ खसरा नंबर 2302 चरागाह भूमि है। ग्राम पंचायत को चरागाह भूमि में से कानूनन पट्टा देने का अधिकार नहीं है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अयाची सं0 1 को दिया गया है वह एब इन इश्यू वाईड व शून्य व प्रभावहीन एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने की वजह से निरस्त योग्य है। उक्त विक्रय के पट्टा दिनांक 28.3.1986 के नक्शे में उत्तर दिशा की तरफ खुद की पडत आबादी भूमि बताई गई है वह भी सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बदनीयती से दिखाई गई है। उक्त पट्टे के भू भाग उत्तर दिशा में खसरा नंबर 2302 चरागाह की भूमि है कोई आबादी की भूमि नहीं है। किन्तु सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा बदनीयती से उक्त पट्टेशुदा भूमि के उत्तर में चरागाह भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 काअ तिक्रमण कराने के उद्देश्य से ही अप्रार्थी सं0 1 की पडत आबादी भूमि बताई है जिस कारण से पट्टा निरस्त योग्य है। जब उक्त पट्टे में उत्तर दिशा में स्वयं की पडत आबादी भूमि बताई है तो फिर निराधार ही उक्त चरागाह भूमि का पट्टा देने में सरपंच ने कानूनी भूल की है। सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे की कोई पत्रावली नहीं बनाई गई न ही कोई अयाची सं0 1 का आवेदन लिया गया। ग्राम पंचायत के समक्ष कोई पत्रावली प्रस्तुत की गई। कोई मौके की रिपोर्ट कमेटी द्वारा तैयार नहीं करवाई गई। सचिव द्वारा कोई नक्शा नहीं बनवाया गया कोई उज्रदारी नोटिस जारी नहीं किये गये भूमि प्राईवेट नेगोशियेशन द्वारा क्यों दी जावे, इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प नहीं लिया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत ने भूमि विक्रय के लिए जो नियम बने हुए है, उनकी कोई पालना नहीं की गई है। निराधार ही नियमों के खिलाफ उक्त पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी करने में कानूनी भूल की है, इसलिए उक्त पट्टा काबिले निरस्तनीय है। तत्समय सरपंच रामसहाय ने इसी अप्रार्थी सं0 1 को इसी चरागाह भूमि में से एक पट्टा बदनीयती से दिनांक 26.4.1988 को जारी कर दिया जिसमें भी किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया है। उक्त पट्टे के खिलाफ भी श्रीमानजी के समक्ष अलग से निगरानी पेश की जा रही है। उक्त पट्टे में अयाची ने अपना नाम बदल कर पट्टा लिया है। यह पट्टा तो रामचन्द्र पुत्र सोन्या के नाम से लिया गया है व दूसरा पट्टा रामचन्दा पुत्र श्योनारायण के नाम से लिया है। जबकि ये एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार सरपंच ने बदनीयती से अपने चहेते व्यक्ति को उक्त चरागाह भूमि में से दो पट्टे देकर कानूनी त्रुटी की है। इसलिए उक्त पट्टा निरस्त योग्य है। यह पट्टा ग्राम पंचायत ने निशुल्क देने में कानूनी त्रुटी की है। प्रार्थीगण काली पहाडी के रहने वाले है उक्त पट्टे की आड में अप्रार्थी उक्त चरागाह भूमि एवं आम रास्ते की भूमि खसरा नंबर 2290 पर अतिक्रमण करने लगा तो प्रार्थीगण द्वारा उन्हें रोका गया जिस पर उसने उक्त भूमि का पट्टा होने की दलील दी। प्रार्थीगण उक्त चरागाह भूमि में दिये गये पट्टे से ग्रसित होने से यह निगरानी पेश की जा रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कालीपहाडी द्वारा उक्त पट्टा दिनांक 28.3.1986 को दिया गया है [illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:24 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने अधिवक्ता निगरानीक[illegible] किया गया। पत्रावली कार अवलोकन किया गया।

6. निगरानीकर्ताओं (अपीलान्टों) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार, ग्राम पंचायत काली पहाडी के सरपंच ने अप्रार्थी रामचन्द पुत्र सो[illegible]ा उर्फ श्योनारायण को खसरा नम्बर 2302 चरागाह भूमि (रकबा 1.28 हेक्टेयर में से 30गुणा 45 फीट यानी कुल 150 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 28–3–1986 को जारी किया निगरानीकर्ताओं का मुख्य तर्क यह

जिला कलेक्टर,दौसा

है कि यह पट्टा विधि, तथ्यों एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि ग्राम पंचायत को चरागाह भूमि में से पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है, पट्टा जारी करने में सरपंच ने कानूनी त्रुटि की है, जिसके कारण यह 'एब इन इश्यू' **(Ab-Initio)**, 'वाहईड' **(Void)**, शून्य, प्रभावहीन एवं क्षेत्राधिकार के बाहर होने की वजह से निरस्तनीय है। पट्टे में उत्तर दिशा की तरफ 'स्वयं की पड़त आबादी भूमि' दिखाई गई है, जबकि मौके पर वहां खसरा नम्बर 2302 चरागाह भूमि है। यह बदनियती से किया गया, ताकि अप्रार्थी नम्बर एक उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर सके। सरपंच द्वारा पट्टे की कोई पत्रावली नहीं बनाई गई, न ही आवेदन लिया गया, न कोई मौके की रिपोर्ट कमेटी द्वारा तैयार हुई, न नक्शा बनवाया गया, न कोई नोटिस जारी हुआ और न ही भूमि विक्रय के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई संकल्प **(Resolution)** लिया गया। इस प्रकार भूमि विक्रय के नियमों की पालना नहीं हुई ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. तत्कालीन सरपंच ने इसी अप्रार्थी) को चरागाह भूमि में से एक और पट्टा दिनांक 26–4–1988 को बदनियती से जारी कर दिया, जिसमें भी नियमों का पालन नहीं किया गया। यह पट्टा रामचन्द पुत्र श्योनारायण के नाम से लिया गया, जबकि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। पट्टा ग्राम पंचायत ने निःशुल्क देने में कानूनी त्रुटि की है।
8. ग्राम पंचायत की तथ्यात्मक रिपोर्टः ग्राम पंचायत काली पहाडी की सरपंच श्रीमती लाली देवी मीना और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 20/08/2019 को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा दिनांक 14/11/2017 की रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि ग्राम पंचायत काली पहाडी के उपलब्ध रिकॉर्ड एवं चार्ज लिस्ट की जाँच की गई, जिसमें उक्त पट्टे की कोई पट्टा पत्रावली एवं पट्टा बही का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है । चार्ज लिस्ट में भी उपरोक्त रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। केवल कुछ संबंधित रिकॉर्ड जैसे रोकड़ सामान्य, न्यायालय शुल्क रजिस्टर, और कुछ रसीदें उपलब्ध मिली हैं। सचिव ग्राम पंचायत कालीपहाडी की रिपोर्ट दिनांक 12.6.2012 जो कि पुलिस अधीक्षक एससी एसटी सैल दौसा को दी गई थी, में अंकित किया है कि ग्रम पंचायत कालीपहाडी द्वारा दिनांक 28.3.1986 को रामचन्द्र पुत्र सोन्या के नाम जारी किया गया पट्टा चरागाह भूमि के खसरा 2302 पर जारी किया गया था जिस पर ग्राम पंचायत नियमानुसार पट्टा जारी नही कर सकती।
9. निष्कर्षः–ग्राम पंचायत को चरागाह भूमि (खसरा नम्बर 2302) में से आबादी प्रयोजन हेतु पट्टा जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के नियमों (पत्रावली निर्माण, आवेदन, मौके की रिपोर्ट, नोटिस, संकल्प) का पूर्ण उल्लंघन हुआ है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत के स्वयं के रिकॉर्ड द्वारा होती है, जहाँ पट्टे की पत्रावली या पट्टा बही का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है।
10. पट्टे में वर्णित भूमि के उत्तरी भाग में चरागाह भूमि होना, जबकि उसे 'स्वयं की पड़त आबादी भूमि' बताया जाना अप्रार्थी को चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कराने के उद्देश्य को दर्शाता है । चूँकि पट्टा चरागाह भूमि में से जारी किया गया, जो 'वाहईड व शून्य' **(Void Ab-Initio)** है। अतः क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण काबिले निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश (Operative Order)–

11. उपरोक्त विस्तृत कारणों एवं विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता हैः
12. निगरानी स्वीकार की जाती है , ग्राम पंचायत काली पहाडी द्वारा अप्रार्थी रामचन्द पुत्र सोन्या उर्फ श्योनारायण को जारी किया गया विक्रय भूमि पट्टा दिनांक 28–3–1986 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है एवं पत्रावली को ग्राम पंचायत कालीपहाडी को

DK
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस आशय से रिमांड किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का आवसर प्रदान कर दो माह में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निगरानीकार दिनांक 09.03.2026 को ग्राम पंचायत कालीपहाडी के समक्ष वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें एवं गैर निगरानीकार को ग्राम पंचायत कालीपहाडी द्वारा सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली को फैसला शुमार कर दफ्तर दाखिल किया जाए।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 20 फरवरी 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनायागया। इस निर्णय की अपील नियतसमयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:24 IST
Reason: SelfAttested